



भिलाई भास्कर 22-01-2026

जिला न्यायालय दुर्ग में विशेष कार्यशाला आयोजित, अधिनियमों के बारे में बताया

कार्यस्थल पर सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण के लिए महिलाओं को कानूनों की जानकारी दी गई

सिटीरिपोर्टर | दुर्ग

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय दुर्ग के नए सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में सरकारी

और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं।

कई बार महिलाएं कार्यस्थल पर होने वाले लैंगिक उत्पीड़न या अनुचित व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाने से डरती हैं या जानकारी के अभाव में शिकायत नहीं कर पातीं। इसी को ध्यान में रखते हुए पॉश एक्ट लागू किया गया है, ताकि महिलाएं बिना किसी भय के अपनी शिकायत दर्ज कर सकें और सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण में कार्य कर सकें। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग ने महिला कर्मचारियों के साथ घटित मामलों

के उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 क्यों आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऐसे कानूनों की जानकारी एवं समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सकें और किसी भी प्रकार की प्रताड़ना के विरुद्ध निर्भीक होकर आवाज उठा सकें।

कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी द्वारा SHC-Box पोर्टल की जानकारी दी। बताया कि कार्यस्थल पर लैंगिक

उत्पीड़न की स्थिति में महिलाएं इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकती हैं और इसका लाभ उठा सकती हैं। चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष आंतरिक शिकायत समिति, जिला न्यायालय दुर्ग ने बताया कि जिला न्यायालय दुर्ग में भी पॉश एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन पूर्व से ही किया गया है, जिससे न्यायालय परिसर में कार्यरत महिलाओं को सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। इस अवसर पर महिला अधिकारों उपस्थित रहीं।